(2018) 4 एस 0 सी0 आर 0 257

पुरी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य व अन्य

(सिविल अपील संख्या 4261/2018 अप्रैल 18, 2018

(आदर्श कुमार गोयल और आर 0 एफ 0 नरीमन जे0 जे0)

मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 मध्यस्थता न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थम द्वारा पारित किया गया अधिनिर्णय निष्पादन स्वीकृत – निष्पादन आदेश के खिलाफ अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है सर्वोच्च न्यायालय की बडी बेंच के लम्बित निर्णय के कारण उच्च न्यायालय ने इसे स्थागित कर दिया – सर्वोच न्यायालय की बडी बेंच ने एल 0 जी0 चौधरी मामले में माना सर्वोच्च न्यायालय की बडी बेंच के निर्णय की शर्तो के अनुसार पक्षो के बीच विवाद का निर्णय 1983 अधिनियम के अनुसार तय किया जाना है इस तथ्य के मददेनजर कि अधिनिर्णय बहुत पहले पारित किया गया था और मामला निष्पादन के लिए लम्बित है यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनिर्णय को 1983 अधिनियम के तहत पारित माना जायेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया जायेगा, जिसे 1983 के अधिनियम के अनुसार पुनरीक्षण याचिका के रूप में माना जायेगा। अन्य लंबित कार्यवाही को 1983 अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्थानातंरित किया जायेगा। अपीलो का निस्तारण किया गया।

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम एल 0 जी0 चौधरी इंजीनियर्स ठेकेदार (2012) 2 एस 0 सी0 सी0 495 (212) 2 एस 0 सी0 आर 0 162 संदर्भित। केस लॉ संदर्भ (212) 2 एस 0 सी0 आर 162 पैरा 4 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में संदर्भितः सिविल अपील संख्या 4261 2018 काः दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय व आदेश दिनांक 19–07–2012 में एफ 0 ए 0 ओ 0(ओ एस) संख्या 23/1998 से सौरभ मिश्रा, ए 0 ए 0 जी, जुगल किशाोर गिल्डा, पुरूषेन्द्र कुमार, महाधिवक्ता, जनरल नमन नागरथ नीरज किशन कौल, पराग त्रिथी, सुश्री एच 0 257 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (2018) 4 एस 0 सी0 आर 0।

किरण सूरी, सीनियर अधिवक्ता, हर्ष पाराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडे, जसदीप एस, ढिल्लो, प्रभात के चौरसिया, सुश्री रेणूका साहू, जय सावला, अमर वरूण शांतनु कृष्ण सुश्री अनुसूया सलवान, विरेन सिब्बल, विवेकान्द बी, विकास सूद, अपूर्व कुरूप, सुश्री ईशा मित्तल, डा0 हर्ष पाठक, सुश्री श्रेता महालन, मोहित चौबे, सिद्धार्थ शुक्ला नीरज शेखर, अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीघर पोटराजू, सुधीर मिश्रा प्रभात कुमार, सुश्री पटेल चंदोक, सुक्षी अंकिता शर्मा, ऋषभ एम आर शमशाद, आदित्य समदर बी0 एस 0 बंथिया, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सौरभ एस 0 सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुना, सुनील सिंह परिहार एम/एस। ऐपी एंड जे चेम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बेहरा, मनीष के भारद्धवाज, एस 0 एस नेहरा, सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, वरूण मोहन, स्वास्तिक सिंह, अर्जुन गर्ग, मनीष यादव, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी बी0 एन 0 दुबे, सुश्री देविका गुलाटी, हितेद्र नाथ रथ, मयंक क्षीरसागर पावेश जोशी, चावू अंबवानी (मैसर्स ए 0 पी0 एंड जे चैम्बर्स के लिए) बी0 के सतीजा, सुमित अत्री, के कृष्णा कुमार, हितेन्द्र नाथ रथ, लीनवा बंधोपाध्याय, राहुल पाण्डे अधिवक्ता 1 उपस्थित पक्षो के लिए न्यायालय ने निम्न लिखित आदेश पारित किया था।

आदेश

1– विलम्ब क्षमा किया गया। अनुदत्त

2– हमने पक्षो के विद्धान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

3– मध्य प्रदेश राज्य में विधान सभा भवन के लियें 11 मई 1984 को पक्षकारो के बीच एक समझौता निष्पादित किया गया था। समझौते से विवाद उत्पन्न हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसम्बर 1988 के आदेश के तहत

एक मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ ने 21 जून 1989 को निर्णय दिया, जिसे 28 सितम्बर 1989 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय का नियम बना दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की गयी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 6 सितम्बर 1991 के आदेश के तहत निष्पादन की अनुमति दी। जिसके विरूद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर की गयी।

4– डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनंाक–5 जूलाई 2012 द्वारा निर्देषित किया कि डिक्री का क्रियानवयन एक अन्य अपील के भाग्य पर निर्भर करेगी जो पक्षकारो के बीच लंबित थी। उक्त अपील एफ.ए.ओ. (ओ 0 एस 0) संख्या 23/1998 अभी भी लम्बित है। लेकिन उच्च न्यायालय ने पुरी कंस्ट्रेक्शंनस प्राईवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले को स्थगित कर दिया है मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम एल 0 जी0 चौधीर ईजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स (2012) 3 एस 0 सी0 सी0 495 मामलें में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में इस न्यायालय की बडी पीठ के लंबित निर्णय को स्थगित कर दिया। यह ध्यान दिया जा सकता है। कि बडी बैंच ने 8 मार्च 2018 को मामलें का फैसला किया है। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा एम.पी. (म 0 प्र 0) मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (म 0 प्र 0 अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार सुलझाया जाना है।

5– हालांकि, चूंकि वर्तमान मामले में अधिनिर्णय बहुत पहलें ही प्रतिपादित किया जा चुका है जिसे उत्तरदाताओं द्वारा चुनोती नही दी गयी थी। मामला निष्पादन के चरण में लंबित है। हम निर्देषित करते हे कि अधिनिर्णय एम.पी. अधिनियम के तहत प्रतिपादित माना जायेगां

6– उपरोक्त, के मददेनजर हम दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को एफ 0 ए 0 ओ (ओ 0 एस 0) संख्या 23/1998 को स्थानांतरित करते है। और सम्बन्धित मामलो को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थानांतरित करते है) जिन्हे मध्य प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका के रूप में माना जायेगा।

7– पक्षकारो के बीच एक अन्य विवाद को 19 मई, 1993 के आदेश के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। हालाकि मध्यस्थता की कार्यवाही पर निर्णय लेने से पहले ही मध्यस्थो की मृत्यु हो गई।

8– लंबित परिस्थियो में मध्यस्थता की कार्यवाही मध्य प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश मध्यस्थता न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दी जायेगी। जिसे मध्य प्रदेश अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार व कानून के अनुरूप निस्तारण किया जाना है। कार्यवाही पिछली कार्यवाही की निरंतरता में की जा सकती है।

9– इस आदेश के आलोक में पक्षकार उच्च न्यायालय या किसी अन्य फोरम में अभिलेखो को अंतरिति न्यायालयो में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा सकते है।

10– तदानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

11– पक्षकार 9 जुलाई 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकते है।

कल्पना के0 त्रिपाठी अपील निस्तारित